अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0 (प्रधान कार्यालय) अल्मोड़ा।

लाइसेंस सं. ग्राआऋवि. 08/2012 दिनांक 16.02.2012

दूरभाष–05962–230204 फैक्स–05962–230683,

E mail ID- dcbalm@rediffmail.com, dcbalmora@gmail.com Web :- zilasahkaribankalmora.co.in

पत्रांक 773 /विकास/कि0के0का0/2020–21 दिनांक 13.07.2020

समस्त शाखा प्रबन्धक,
अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0,
जनपद–अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।

विषय–दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों को दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन हेतु किसान केडिट कार्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक बैंक के पत्रांक565/संग्रह/कि0के0का0(संसोधित)/2020–21दिनांक 17.06.2020 के द्वारा उक्त के संबंध में पूर्व मे दिशा–निर्देश दिये गये है। निबन्धक,सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक 1254–63/अधिक0/कि0के0का0 (संशोधित)/2020–21 दिनांक16.06.2020, भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन एवं डेरीमंत्रालय के पशुपालन एवं डेरीविभाग के पत्रांक F.No.M-01007/5/2020-ADMIN-1KCC दिनांक 28.05.2020 एवं नाबार्ड के परिपत्र संख्या–151/पुर्नवित्त–45/2020 दिनांक 02.06.25020 द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान अंतरिम प्राविधानों के आधार पर अल्पाधि ऋणों पर ब्याज सहायता योजनाजारी रखी जा रही है। जिसके अन्तर्गत किसानों को दिये जाने वाले मु0 3.00 लाख रू0 तक के (अधिकतम 2.00 लाख रू0 प्रति किसान तक के पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशीलपूंजी ऋण) अल्पावधि ऋणों (फसली ऋण और पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए कार्यशीलपूंजी ऋण) के लिए अपनी निजीनिधियों का उपयोग करने वाले सहकारी बैंको को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध होगी बशर्ते ऋण देय संस्थायें 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण उपलब्ध करायें। फसली ऋण/कार्यशीलपूंजी ऋण की राशिपर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता की गणना अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अधीन सवितरण/आहरण तिथि से किसान द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि में जो भी पहले होगी उस अवधिकतक के लिए की जायेगी। समय पर फसली कार्यशीलपूंजी ऋणों की चुकौती करने वाले किसानों के लिए अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अधीन सवितरण/आहरणतिथि से किसानों द्वारा चुकौती की वास्तविक तिथि अथवा बैंक द्वारा निर्धारित भुगतान की विहित तिथि मे से जो भी कम हो अवधि के लिए 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता उपलब्ध होगी, अर्थात समय पर ऋण की चुकौती करने वाले किसनो को वर्ष 2020–21 के दौरान 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याजदर पर अल्पावधि ऋण मिलेगा, इस प्रकार के ऋण लेने के 1 वर्ष बाद चुकौती करने वाले किसानों को यह लाभ नहीं मिलेगा। इस सन्दर्भ मे निदेशक डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड के कार्यालय पंत्राक सी–174/नियोजन–के0सी0सी0 पत्रा0/2020–21 दिनांक 08.06.2020 द्वारा प्रदेश के दुग्ध सहकारी समिति के दुग्ध उत्पादक/समिति के सदस्यों को दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन कार्य हेतु किसान केडिट कार्ड उपलब्ध कराने हेतु निर्देशपत्र में दिये गये है।

दुग्ध उत्पादक/समिति के सदस्योंकोदुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन हेतु दिये जाने वाले किसान क्रेडिट कार्डधारकों की अल्पकालीन ऋण सीमा की भांति सम्बन्धित सदस्यों की बैंक के पत्रांक 274/संग्रह/फसल वित्तमान/2020–21 दिनांक 22.05.2020 तथा 275/संग्रह/फसल वित्तमान/2020–21 दिनांक 22.05.2020 के द्वारा वित्तमान जारी किये गये हैं। जारीवित्तमान के अनुरूप शाखास्तर से ऋण सीमा स्वीकृत करते हुए ऋण वितरण किया जानाहै (यह ऋण पशुक्रय करने के लिये नहीं है) दुग्ध उत्पादक/समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले कार्यशील पूंजी से पूर्व सम्बन्धित सदस्यों के पशुओं का नियमानुसार बीमा कराते हुए टैग कराना व ऋण वितरण से पूर्व सम्बन्धित पशुओं का प्रधान प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा बीमा व टैगिंग का भौतिक सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित सदस्य को ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा शाखा प्रबन्धक भी स्वस्तर से भौतिक सत्यापन करेंगे। शाखाप्रबन्धक ऋण वितरण से पूर्व बहु0 साधन/किसान सेवा सहकारी समिति तथा दुग्ध समिति का अदेय प्रमाणपत्र प्राप्तकरें। (बकायदार नहीं होना चाहिए)।

उक्तसम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि बैंक शाखा से सम्बद्ध बहु0 किसान/साधन सहकारीसमितियों/दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यो को बैंक द्वारा दिये जा रहे लक्ष्य के अनुरूप दुग्ध उत्पादन एवं पशुपालन कार्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करते हुए ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें।

(नरेश चन्द्र)
सचिव/महाप्रबन्धक,

प्रतिलिपि प्रेषित–सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रधान प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, अल्मोड़ा।
2. उप महाप्रबन्धक (पैक्स/विकास), अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0, अल्मोड़ा।
3. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, जनपद अल्मोड़ा।
4. निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड, देहरादून को अवलोकनार्थ।
5. अध्यक्ष, महोदय, को अवलोकनार्थ।

सचिव/महाप्रबन्धक,